पत्रांक—बा0 नि0 रूपां0 प्र0—1 तक0 (अना0)—29/2025—

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

Territory Manager (Gas), Bihar-2,,
Bharat Petroleum Corporation Ltd, Patna.
(Email: vivekpratapsing@bharatpetroleum.in)

पटना, दिनांक—

विषयः— Proposal for obtaining Permission/NOC for laying 8" Carbon Steel Gas Pipeline across Sikrahna River near Sugauli (East Champaran) along NH-527D हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में Proposal for obtaining Permission/NOC for laying 8" Carbon Steel Gas Pipeline across Sikrahna River near Sugauli (East Champaran) along NH-527D हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:—

शर्तें:—

1. पाईप लाईन बिछाने के दौरान सभी अपेक्षित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पूर्णतः पालन करना होगा।
2. पाईप लाईन HDD (Horizontal Directional Drilling) method द्वारा सभी सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाये जायेंगे।
3. River Crossing हेतु पाईप लाईन नदी के केन्द्र से दोनों ओर न्यूनतम Lacey's Waterway का 1.50 गुणा दूरी तक तथा पाईप लाईन का Top Level नदी के Maximum Scour Depth अथवा Deepest Bed Level (दोनों में जो नीचे हो) से न्यूनतम 3.00 मी० नीचे गुजारना बाध्यकारी होगा।
4. पाईप लाईन के संरेखन को निर्मित संरचनाओं से न्यूनतम 50 मी० की दूरी पर रखना अनिवार्य होगा।
5. कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी के प्रवाह बाधित नहीं हो।
6. नदी/तटबंधो के क्रासिंग बिन्दुओं के समीप Danger post लगाना होगा ताकि कार्य स्थल पर कार्य करते समय इसे ध्यान में रखा जा सके।
7. तटबंध के across पाईप लाईन बिछाते समय सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाना होगा जिससे तटबंधों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
8. यह सुनिश्चित करना होगा कि पाईप लाईन के कारण तटबंधों के रख रखाव एवं इसके ऊपर किसी प्रकार का निर्माण करने में पाईप लाईन के कारण व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।
9. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पाईप लाईन के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की पूरी जिम्मेवारी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श मान्य होगा।
10. पाईप लाईन के मार्ग में पक्की सड़क एवं संरचना को क्षति नहीं पहुँचानी होगी।

2—

11. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुए किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Material को पूर्ण रूप से हटा लेना होगा।
12. उपर्युक्त पाईप लाईन से पेट्रोलियम उत्पाद/गैस आदि का रिसाव नहीं हो इसकी पूर्ण सुरक्षा का प्रबंधन एवं विशेष सुरक्षा की व्यवस्था भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा की जानी होगी।
13. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
14. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा।
15. यह सैद्धान्तिक सहमति सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यकता हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त की जायेगी।
16. किसी भी प्रकार के dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
17. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी निर्माणकर्ता की होगी।
18. कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।
19. पाईप लाईन में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की होगी।
20. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।
21. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की **प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।**
22. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– 129 पटना, दिनांक : 26/05/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/5/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय